सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश

1250, तुलसीनगर, भोपाल- 462003
फोन-0755-2556916 फैक्स-2552665, ईमेल- dir.socialjustice@mp.gov.in

क्रं./सा.सहा./2020/ 1178 भोपाल, दिनांक 28/08/2020

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
3. समस्त आयुक्त, नगर निगम
4. समस्त संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
6. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिक/नगर पंचायत
   मध्यप्रदेश।

विषय :- प्रतिमाह नवीन स्वीकृत पेंशन प्रकरण, पेंशन बंद करने संबंधी प्रकरण एवं बचत खाता नम्बर अपडेट करने की जानकारी को पंजी (रजिस्टर) में संधारित करने के संबंध में।

संदर्भ :- पत्र क्रं. सा.सहा./02/2019/170 दिनांक 21/01/2019, सा.सहा./02/2019/170/233 दिनांक 12/02/2019, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 2019/पी.एस./324 दिनांक 08/03/2019, सा.सहा./2019/849 दिनांक 01/06/2019

संदर्भित पत्रों के माध्यम से समय-समय पर पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन करने एवं केवल पात्र पेंशन हितग्राही को ही पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने का लेख किया गया है। पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन के सतत् प्रक्रिया है, अत: समस्त जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय यह सुनिश्चित करें कि उनके निकाय में केवल पात्र पेंशन हितग्राही ही प्रतिमाह पेंशन का लाभ प्राप्त कर सके, किसी भी मृत/अपात्र एवं पलायन कर चुके हितग्राही को पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हो इस हेतु उन्हें पेंशन पोर्टल से हटाने की कार्यवाही सतत् रूप से सुनिश्चित की जाये।

उक्त हेतु निम्नानुसार व्यवस्था बनाई जाती है :-

1. **प्रतिमाह पेंशन स्वीकृत किये गये नवीन प्रकरणों की सूची का संधारण एवं सत्यापन :-**

- प्रतिमाह पेंशन स्वीकृत करने की कार्यवाही जनपद पंचायत/नगरीय निकायों द्वारा पेंशन पोर्टल पर की जाती है। पेंशन पोर्टल पर पेंशन स्वीकृत करने से पूर्व समस्त निकाय यह सुनिश्चित करें कि आवेदक के दस्तावेज पूर्ण एवं सही हो। समस्त पेंशन आवेदनों का अनुमोदन नोटशीट पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी से लिया जाये। नोटशीट पर सक्षम स्वीकृति के उपरांत ही पेंशन पोर्टल पर पेंशन प्रकरण को स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाये। पोर्टल पर दर्ज जानकारी के आधार पर किसी भी आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने की कार्यवाही नहीं की जाये।

- प्रतिमाह नोटशीट पर स्वीकृत प्रकरणों का संधारण पंजी (रजिस्टर) में किया जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि जो प्रकरण नोटशीट पर स्वीकृत हुये है, केवल उन प्रकरणों को ही पोर्टल पर स्वीकृत किया जाये एवं पंजी (रजिस्टर) में निम्नानुसार लेख किया जाकर प्रतिमाह की जानकारी को संधारित किया जाये।

समग्र आईडी	नाम	पिता/ पति का नाम	आयु	जेंडर	वर्ग	आई.एफ .एस. कोड	बचत खाता नम्बर	मोबाइल नम्बर	आधार नम्बर	योजना का नाम	नोटशीट पर स्वीकृत दिनांक	हितग्राही का फोटो	हस्ताक्षर

उपरोक्तानुसार जानकारी को रजिस्टर में संधारित किया जाना आवश्यक है, क्योंकि उक्त जानकारी के आधार पर ही प्रतिमाह पेंशन स्वीकृति की समीक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी तथा सोशल ऑडिट में उक्त पंजी (रजिस्टर) का ही उपयोग किया जा सकेगा।

- रजिस्टर पर दर्ज जानकारी के आधार पर समय-समय पर रेडण्म सत्यापन किया जाये कि रजिस्टर के अनुसार एवं पेंशन पोर्टल पर माह में स्वीकृत जानकारी में समानता है अथवा नहीं। दोनो जानकारी में भिन्नता होने पर संबंधितों से स्पष्टीकरण लिया जाये।

2. प्रतिमाह पेंशन बंद किये गये प्रकरणों की सूची का संधारण :-

- किसी भी पेंशन हितग्राही की पेंशन बंद करने से पूर्व दस्तावेजों का परीक्षण भलीभांति किया जाये, जिनसे पेंशन योजना की पात्रता शर्तो का निर्धारण होता है।
- दस्तावेज के आधार पर पेंशन बंद करने से पूर्व हितग्राही को जानकारी उपलब्ध कराने का समय दिया जाये। प्रदान की गई समय-सीमा में हितग्राही द्वारा चाही गई जानकारी जिससे योजना की पात्रता शर्ते का निर्धारण होता है उपलब्ध नहीं कराने की दशा में ही पेंशन बंद करने की कार्यवाही की जाये एवं पेंशन बंद करने की सूचना हितग्राही को भी प्रेषित की जाये।
- माह में जिन पेंशन हितग्राहियों की पेंशन बंद की गई है उनकी जानकारी को निम्नानुसार प्रांरूप में पंजी (रजिस्टर) पर लिखा जाकर संधारित किया जाये :-

समग्र आईडी	नाम	पिता/पति का नाम	आयु	जेंडर	वर्ग	योजना का नाम	मोबाइल नम्बर	आधार नम्बर	हटाने का कारण	बंद करने की दिनांक	फोटो	हस्ताक्षर

उपरोक्तानुसार जानकारी को रजिस्टर में संधारित किया जाना आवश्यक है, क्योंकि उक्त जानकारी के आधार पर ही प्रतिमाह पेंशन बंद किये गये प्रकरणों की समीक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी तथा सोशल ऑडिट में उक्त पंजी (रजिस्टर) का ही उपयोग किया जा सकेगा।

3. प्रतिमाह बचत खाता नम्बर अपडेट किये गये प्रकरणों की सूची का संधारण:-

- भुगतान असफल होने एवं किसी हितग्राही द्वारा बचत खाता नम्बर में संशोधन करने हेतु किये गये अनुरोध पर बैंक/पोस्ट ऑफिस की पासबुक के आधार पर हितग्राही के बचत खाता नम्बर को पेंशन पोर्टल पर अपडेट करने की कार्यवाही की जाये।
- पेंशन हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान सीधे हितग्राही के खाते में ही किया जाता है अत: यह आवश्यक है कि हितग्राही का खाता नम्बर पोर्टल पर सही हो एवं संबंधित हितग्राही का ही खाता नम्बर हो यह सुनिश्चित करें। पोर्टल पर खाता नम्बर गलत दर्ज होने पर हितग्राही को पेंशन का भुगतान नहीं हो सकेगा अथवा गलत व्यक्ति के खातें में भुगतान हो जायेगा। अत: उक्त कार्य को सावधानी पूर्वक किया जाये।
- माह में जिन पेंशन हितग्राहियों के बचत खाता नम्बर को अपडेट किया गया है की जानकारी को निम्नानुसार प्रारूप में पंजी (रजिस्टर) पर लिखा जाकर संधारित किया जाये:-

समग्र आईडी	नाम	पिता / पति का नाम	आयु	जेंडर	वर्ग	पूर्व में दर्ज आई.एफ.एस. कोड / खाता नम्बर	अपडेट किया गया आई.एफ. एस. कोड / खाता नम्बर	मोबाइल नम्बर	आधार नम्बर	योजना का नाम	अपडेशन दिनांक	हितग्राही का फोटो	हस्ताक्षर

उपरोक्तानुसार जानकारी को रजिस्टर में संधारित किया जाना आवश्यक है, क्योंकि उक्त जानकारी के आधार पर ही प्रतिमाह पेंशन हितग्राहियों के अपडेट किये गये खातों की समीक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी तथा सोशल ऑडिट में उक्त पंजी (रजिस्टर) का ही उपयोग किया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार पेंशन हितग्राहियों की माहवार जानकारी का संधारण पेंशन पोर्टल के साथ-साथ पंजी (रजिस्टर) पर करने से निश्चित ही पेंशन की प्रतिमाह समीक्षा संभव हो सकेगी एवं पेंशन पोर्टल की स्थिति का मिलान भी रजिस्टर से किया जा सकेगा। समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी उनके कार्यक्षेत्र में संधारित रजिस्टर की फोटोकॉपी प्रतिमाह जिला कार्यालय को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत / मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत

के हस्ताक्षर एवं स्वयं के हस्ताक्षर से प्रमाणित कर उपलब्ध कराना सुनिश्चत करेंगे। जिला कार्यालय प्रतिमाह पंजी (रजिस्टर) एवं पोर्टल की जानकारी का मिलान करना सुनिश्चित करेंगे, जानकारी के मिलान करने पर दोनो जानकारी में भिन्नता होने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से भिन्नता होने का स्पष्टीकरण लिया जाये।

उपरोक्तानुसार प्रतिमाह कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये अपात्र/मृत/पलायन कर चुके हितग्राहियों की पेंशन बंद करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। किसी भी पात्र हितग्राही की पेंशन बंद होने एवं किसी भी अपात्र/मृत/पलायन कर चुके हितग्राही को पेंशन का भुगतान होने की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी एवं जनपद पंचायत/नगरीय निकायों के अधिकारी पूर्णत: जिम्मेदार होंगे । नवीन पेंशन स्वीकृति, पेंशन बंद करने एवं बचत खाता अपडेट करने की कार्यवाही केवल दस्तावेज के आधार पर ही सुनिश्चित की जाये एवं दस्तावेजों का संधारण भी सुनिश्चित किया जाये, जिससे राज्य/जिला अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण के दौरान पंजी (रजिस्टर) एवं दस्तावेजों का मिलान किया जा सके। उक्त प्रक्रिया का पालन करने से निश्चित ही प्रतिमाह पेंशन हितग्राहियों की जानकारी संशोधित रह सकेगी एवं केवल पात्र हितग्राही ही पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

Renu 26/8/20

(रेनू तिवारी)
आयुक्त,
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र.

पृ.क्र./ सा.सहा./2020/ 1179 भोपाल, दिनांक 26/08/2020

प्रतिलिपी:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
3. श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकी संचालक, एन.आई.सी. म.प्र. कृपया पेंशन पोर्टल पर रजिस्टर की प्रमाणित प्रति को अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, प्रतिमाह नवीन स्वीकृत पेंशन प्रकरण, पेंशन बंद किये गये प्रकरण एवं अपडेट किये गये बचत खाता नम्बर की जानकारी रजिस्टर पर संधारित करें एवं प्रतिमाह रजिस्टर की स्वप्रमाणित प्रति जिला कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Renu 26/8/20

आयुक्त ,
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र.